न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2020
रजि.संख्या : 2020/00061

प्रार्थी :–

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री हीरालाल पुत्र श्री देवीलाल डॉगी
होटल रिलक्स – ईन के पास, उदयपुर रोड, श्याम कोलोनी, बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनिय म, 1955 सपठित राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000

दिनांक :– 23.12.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार "शहर मे अवध गैस भरने का धन्धा, रिपेयरिंग की दुकान में गाडियों में घरेलु गैस भरने का काम" की जाच करने हेतु जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा गठित दल प्रवर्तन निरीक्षक श्री सोहन सिंह चौहान, श्री लाल शकर डामोर एवं श्री धर्मेन्द्र रोत उदयपुर रोड स्थित हीरो मोटर शो–रूम के सामने जोशी कार डकार पर घरेलु गैस का कारों मे लगे सिलेण्डरों में रिफिल करके दुरूपयोग किये जाने की मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच एवं तलाशी की गई। मौके पर गोदाम के मालिक श्री लक्ष्मीलाल जोशी उपस्थित नही मिले। वर्कशोप पर कार्य करने वाले श्री हीरालाल पुत्र श्री देवी लाल उपस्थित मिले। श्री हीरालाल से पूछताछ करने पर बताया कि यह वर्कशोप स्वय ने किराये पर ले रखा है एवं इस पर उनका ही कारोबार है। परिसर मे बने कमरे में रेकें पायी गयी। इन रेकों के ऊपर लोहे के चददर के ढक्कन लगे हुए पाये गये। जब इन चद्दर के ढक्कनों को हटाया गया तो 16 सिलण्डर मिले समस्त गैस सिलेंडरो की जाच बाट माप मानक प्रवर्तन अधिनियम 1985 के अन्तर्गत सत्यापित व मुद्रांकित तोल यंत्र द्वारा गैस सिलेंडरों का वजन करने पर 9 गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 7 गैस सिलेण्डर खाली पाये गये। उन खाली सिलेण्डरो मे 6 गैस सिलेण्डर BPCL एवं 1 सिलेण्डर HPCL के पाए गए। भरे हुए सिलेण्डरो में 6 गैस सिलेण्डर HPCL एव 3 सिलेण्डर BPCL के पाए गए। उक्त परिसर मे एक गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:27:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

...जाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन मार्क ASPEE - BILI HTP ...गुलेटर मय नोजल बिना एस. आर. नम्बर का पाया गया। इस प्रकार भर -9, खाली सिलेंडर -7 कुल सिलेंडर -16 गैस का अवैध भण्डारण 129.52 किलो ग्राम पाया गया। जो अवैध भण्डारण के साथ-साथ विस्फोटक लाइसेन्स का उल्लघन है। तथा रेगुलेटर मय नोजल पर एवं इलेक्ट्रीक मोटर ASPEE - BILI HTP POWER SPRAY पर कोई एस. आर. नम्बर अंकित होना नहीं पाया गया। परिसर में भण्डारित गैस सिलेंडरों, इलेक्ट्रिक मशीन एवं रेगुलेटर के बावत पूछताछ में श्री हीरालाल पुत्र श्री देवीलाल ने बताया कि हम नये गैस किट गाडियों में फिट करने का कार्य करते है, इन किटों की टेस्टींग करने के लिए यह इलेक्ट्रिक मशीन रखी हुई है। रेगुलेटर एवं सिलेंडरों के बारे में पुछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाये। फर्म द्वारा बिना वैध लाईसेन्स एल.पी.जी. का भण्डारण करना, घरेलु गैस का अवैध उपयोग किया जाना मौके पर स्थापित होने पर मौके से संलग्न जांच रिपोर्ट अनुसार 16 गैस सिलेंडरों, इलेक्ट्रिक मशीन एवं रेगुलेटर मय नोजल मोतबिरानों की मौजूदगी में जब्त किये जाकर त्रिपुरा गैस एजेंसी (HPCL) के कार्मिक श्री केसरीमल पुत्र श्री दुधिया निवासी सामापाडा तहसील आबापुरा की सुपुर्दगी में दिये गये एव अग्रिम आदेश तक खुर्दबुर्द नहीं करने एवं सुरक्षित रखने हेतु पाबन्द किया गया है। साथ ही सक्षम अधिकारियो एव न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

श्री हीरालाल पुत्र श्री देवीलाल द्वारा घरेलु गैस व वाणिज्यक गैस का वाहनों मे ईधन के रूप मे भरना तथा बिना वैध लाईसेन्स एल.पी.जी. का भण्डारण करना पाया गया, जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 (1), 15 तथा एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 (1 ए), 6 का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। एवं वजन करने पर कुल गैस 129.52 किलोग्राम का भण्डारण पाया गया, जो कि विस्फोटक उपनियंत्रक द्वारा जारी लाइसेन्स के बिना भण्डारण क्षमता 100 किलोग्राम से ज्यादा होना पाया गया। तथा घरेलु गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग एवं अवैध भण्डारण करना पाया गया। उक्त कृत्य आदेश 2000(रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) के खण्ड 4 (1 ए), 6 का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

इस प्रकार उक्त परिसर मे एक गैस रिफिलिग गाडियो मे भरने हेतु काम में लायी जाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन मार्क ASPEE - BILI HTP POWER SPRAY एव एक रेगुलेटर मय नोजल बिना एस.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:27:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आर. नम्बर का पाया गया। इस प्रकार भर हुए सिलेंडर –9, खाली सिलेंडर –7 कुल सिलेंडर –16 गैस का अवैध भण्डारण 129.52 किलो ग्राम को राजसात करने के आदेश पारित करने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस समन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 27.11.2020 को श्री हरिविष्णु पुरोहित अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 18.12.2020 को अप्रार्थी श्री हीरालाल की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति विभागीय पैरोकार को दी गई। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे यह उल्लेख किया कि वर्क शॉप पर पाए गए गैस सिलेण्डर ग्राहको के थे जो अपने वाहनो में गैस भरवाने हेतु छोड जाते थे। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से गैस भण्डारण का काम नही करता है। समस्त गैस सिलेण्डरो को राजसात करने के सन्दर्भ मे अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति व्यक्त की।

दिनांक 18.12.2020 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि श्री हीरालाल पुत्र श्री देवीलाल द्वारा घरेलु गैस व वाणिज्यक गैस का वाहनों में ईधन के रूप में भरना तथा बिना वैध लाईसेन्स एल.पी.जी. का भण्डारण करना पाया गया, जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 (1), 15 तथा एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 (1 ए), 6 का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। एवं वजन करने पर कुल गैस 129.52 किलोग्राम का भण्डारण पाया गया, जो कि विस्फोटक उपनियंत्रक द्वारा जारी लाइसेन्स के बिना भण्डारण क्षमता 100 किलोग्राम से ज्यादा होना पाया गया। तथा घरेलु गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग एवं अवैध भण्डारण करना पाया गया। उक्त कृत्य आदेश 2000(रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) के खण्ड 4 (1 ए), 6 का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। साथ ही एक गैस रिफिलिंग गाडियो मे भरने हेतु काम में लायी जाने वाली इलक्ट्रिक मशीन मार्क ASPEE – BILI HTP POWER SPRAY एवं एक रेगुलेटर मय नोजल बिना एस. आर. नम्बर का पाया गया। इस प्रकार भर हुए सिलेंडर –9, खाली सिलेंडर –7 कुल सिलेंडर –16 गैस का अवैध भण्डारण 129.52 किलो ग्राम को राजसात करने के आदेश पारित करने निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि वर्क शॉप पर पाए गए गैस सिलेण्डर ग्राहको के थे जो अपने वाहनो मे गैस भरवाने हेतु छोड जाते थे। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से गैस भण्डारण का काम नही करता है। न ही स्वयं या परिवार वालो के नाम से गैस कनक्शन ले रखा हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर आया है। समस्त गैस सिलेण्डरो को राजसात करने के सन्दर्भ मे अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:27:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से 16 घरेलु सिलेण्डर जिनमे से 9 भरे हुए 7 खाली साथ ही एक गैस रिफिलिंग गाडियों मे भरने हेतु काम में लायी जाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन मार्क ASPLE - BILI HIP POWER SPRAY एवं एक रेगुलेटर मय नोजल बिना एस आर नंबर जो जोशी कार डेकार, हीरा मोटर शो रूम के सामने उदयपुर रोड बॉसवाडा पर पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डार किया जाना पाया गया। चूकि एल.पी.जी अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए प्रकरण के अंतिम निस्तारण से पूर्व हम इनका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः जब्त शुदा 16 घरेलु सिलेण्डर जिनमे से 9 भरे हुए 7 खाली गैस सिलेण्डरो, गैस का अवैध भण्डारण 129.52 किलो ग्राम व एक गैस रिफिलिंग गाडियों मे भरने हेतु काम में लायी जाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन मार्क ASPLE - BILI HIP POWER SPRAY एवं एक रेगुलेटर मय नोजल बिना एस आर नंबर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बासवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा यह सुनिश्चित करे कि सक्षम न्यायालय द्वारा इन सिलेण्डरो को मांगे जाने पर उपलब्ध करायेंगे।

निर्णय आज दिनाक 23.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बासवाड़ा (राज.)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:27:52 IST
Reason: SelfAttested